उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिनॉक 06.07.2007 को बोर्ड मुख्यालय सभागार में सम्पन्न हुई सातवी बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सातवी बैठक दिनॉक 06.07.2007 को पूर्वान्ह 11 बजे से बोर्ड मुख्यालय में सम्पन्न हुई। बोर्ड के अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गई। निम्नलिखित सदस्यो द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया :

1. श्री एन0 रविशंकर, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. श्री सुब्रता बिश्वास, उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण।
3. श्री राजकुमार, उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण।
4. श्री आर0 एन0 वर्मा, वरिष्ठ अभिन्यता, पेयजल निगम, देहरादून।
5. श्रीमती उषा चौधरी, अध्यक्षा, नगर पालिका परिषद्, काशीपुर।
6. डा0 गुरूपाल सिंह, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
7. श्री महोदव सिंह, कर अधीक्षक, नगर पालिका परिषद्, हरिद्वार।
8. श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इंर्ड्रस्टीज एसोसियेशन ऑफ उत्तरांचल।
9. श्री विजय कुमार, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव द्वारा बोर्ड के सदस्यो का स्वागत किया गया, तथा नवीन सदस्यों द्वारा परिचय दिया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्य सूची के अनुसार निम्न निर्णय लियें गये।

कार्य सूची संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
7.1	छठी बैठक कार्यवृत्त का अनुमोदन	बोर्ड की छठी बैठक दिनांक 26.12.05 को सम्पन्न हुई थी जिसका कार्यवृत्त बोर्ड के पत्र संख्याः यू.ई.पी.पी.सी.बी/एच. ओ/छठवी बोर्ड बैठक/05/1527 दिनांक 09.01.06 द्वारा सभी बोर्ड सदस्यों को इस आशय के साथ प्रेषित किया गया था कि यदि सदस्यों की ओर से कार्यवृत्त में कोई संशोधन वांछित है तो वह अपने टिप्पणी बोर्ड को प्रेषित करें। **बोर्ड सदस्यों की ओर से कोई टिप्पणी प्राप्त नही हुई। अतः छठवी बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदित माना गया।**
7.2	छठी बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या	प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, तथा निम्न बिन्दुओं पर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। 6.2– डी0 जी0 सेट के मुद्दें पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पुनः मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाए तथा बोर्ड मुख्यालय हेतु वन भूमि/अन्य भूमि की उपलब्धता हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाये।

N. Ravi Shankar
6-7-2007

		6.3– बोर्ड के ढांचे पर पुनः विचार (Review) किया जाए तथा अन्य पद यथा मुख्य पर्यावरण शिक्षा अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जन सम्पर्क अधिकारी आदि के पदों को सम्मलित करते हुए तथा अन्य तकनीकी पदों पर पुनः विचार कर सुविचरित ढांचा अगली बोर्ड बैठक में प्रेषित किया जाए। 6.4 हरित श्रेणी के दोषी उघोगों पर लगाये गये आर्थिक दण्ड का पूर्ण विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत जाए, तथा इस सम्बन्ध में पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय का कडाई से अनुपालन कराया जाए। 6.5 सभी श्रेणी के उघोगो से सहमति शुल्क प्राप्त करने हेतु सुविचारित पुनरीक्षित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में लाया जाए।
7.3	विगत वर्ष 2006– 2007 के बजट की कार्योत्तर स्वीकृति एवं वर्ष 2007–08 के प्रस्तावित बजट का अनुमोदन	वर्ष 2007–08 का प्रस्तावित बजट (पूँजीगत ब्यय रू0 123.35 लाख एवं राजस्व ब्यय रू0 294.19 लाख) अनुमोदित किया गया। वर्ष 2006–07 के बजट के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि उक्त वर्ष में हुए आय–ब्यय को यथाशीघ्र आडिट कराकर वॉछित मदों में प्रस्तुत करके आगामी बोर्ड बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु लाया जाए।
7.4	बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2006– 07 का अनुमोदन	वर्ष 2006–07 के आडिटेड बैलेंसशीट को भी वार्षिक रिपोट में समायोजित करते हुए आगामी बोर्ड बैठक में पुनः अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाए।
7.5	सहमति हेतु आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था के संबंध में	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रस्तावित सभी समितियों में समिति अध्यक्ष को नामित कर दिया जाए। आवश्यकतानुसार सम्बन्धित आवेदक को ब्यक्तिगत सुनवाई हेतु Decision Making Level Committee के समक्ष प्रस्तुत होने का प्रावधान किया जाए तथा समिति के स्वरूप में आवश्यकतानुसार संशोधन हेतु सदस्य सचिव को अधिकृत किया गया।
7.6	पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु उघोगों/संस्थाओं द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्यो हेतु पर्यावरण पुरूस्कार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में	पुनः विज्ञापित कर नामांकन प्राप्त करने के प्रस्ताव तथा आगामी विश्व ओजोन दिवस अथवा पर्वत दिवस के अवसर पर पर्यावरण पुरूस्कार प्रदान करने पर अनुमोदन दिया गया।
7.7	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सहमति एवं प्राधिकार प्रबंधन व मार्गदर्शिका के संबंध में	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। आगामी बोर्ड बैठक में (अ) प्रस्तावित जल एवं वायु नियमों (ब) उघोगों के श्रेणीबद्ध विभाजन हेतु प्रस्ताव को अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाए। उक्त हेतु सदस्य सचिव की अध्यक्षता में तकनीकी समिति का गठन कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जाए।

N Ravi Shankar
[illegible] 7.20

<table>
<tr><td>7.8</td><td>जल उपकर के निर्धारण हेतु प्राधिकारी के सम्बन्ध में</td><td>इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि वाँछित कार्मिकों की तैनाती कर पुनः अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही कर बोर्ड के समक्ष लाया जाए।</td></tr>
<tr><td>7.9</td><td>विभिन्न विशिष्ट प्रकार के उद्योगों पर प्रावधानों के अनुसार वांछित अनुपालन सुनिश्चित कराने के संबंध मे</td><td>अवलोकित किया गया । सदस्य सचिव को अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये। प्रस्तावित समितियों की आवश्यकता नही है। निबंधन हेतु नियत प्राधिकारी के माध्यम से विशिष्ट प्रकार के उघोग की सूची प्राप्त कर बोर्ड के माध्यम से अग्रेत्तर कार्यवाही कर ली जाए।</td></tr>
<tr><td>7.10</td><td colspan="2">बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में लिये गये कतिपय निर्णयों के कार्योत्तर अनुमोदन सम्बन्धी एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के अवलोकन के संबंध में</td></tr>
<tr><td>7.10.1</td><td>मुख्य पर्यावरण अधिकारी के आवास पर दूरभाष के सम्बन्ध में</td><td>बोर्ड में कार्यरत प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के कार्मिकों को निम्नानुसार दूरभाष सुविधा दिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
<table>
<tr><th>S. No</th><th>Name of Officer</th><th>Proposed Facility</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Member Secretary</td><td>Actual basis residence and mobile facility As already approved</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Chief Environment Officer</td><td>o Reimbursement of Rs 1000/- per month for residence telephone and internet
o Reimbursement of Rs 1000/- for mobile phone</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Other Class-I Officer including Incharge Regional Office</td><td>o Reimbursement of Rs 600/- per month for residence telephone and internet
o Reimbursement of Rs 600/- for mobile phone</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Advisors/Consultants .Technical Advisor

Legal Advisors</td><td>o Reimbursement of Rs 1200/- per month for mobile phone and internet

o Reimbursement of Rs 600/- per month for mobile phone and internet</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Class-II Officers</td><td>Reimbursement of Rs 600/- per month for Mobile and Internet.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Class-III employees</td><td>Reimbursement of Rs 300/- per month for Mobile facility</td></tr>
</table>
बिल की प्रतिपूर्ति भुगतान किये गये बिल को प्रस्तुत करने के बाद की जायेगी यदि उपरोक्त सीमा से अधिक बिल प्राप्त होता है तो उसके वास्तविक व्यय के भुगतान के सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।</td></tr>
</table>

N. Ravi Shankar
6.7.2007

7.10.2	बोर्ड का नाम उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किये जाने के संबंध में:	अवलोकित । कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
7.10.3	बोर्ड के अधिकारियों के अधिकारों का प्रतिनिधायन	अवलोकित । कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
7.10.4	संयुक्त जल/वायु सहमति पत्र का निर्गमन	अवलोकित । कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
7.10.5	दून घाटी में फार्मा यूनिटस (Pharmaceutical Formulation Units) के संबंध में आई0आई0टी0 रूड़की को Technical study देने के संबंध में	बोर्ड को अवगत कराया गया कि आई.आई.टी. रूडकी के द्वारा उक्त Study हेतु असमर्थता ब्यक्त की गई है।, जी0बी0पन्त कृषि एवं तकनीकी विश्वविघालय को उक्त Study हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। जिस पर अग्रेत्तर कार्यवाही जारी है। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
7.11	मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 07.05.07 के संबंध में	प्रस्ताव अवलोकित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि मा0उच्चतम न्यायालय के अग्रिम निर्णय के पश्चात प्रकरण के निस्तारण हेतु समयबद्ध एवं तीव्र कार्यवाही की जाए। बोर्ड द्वारा किसी अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता को नियुक्त करने हेतु अध्यक्ष बोर्ड को अधिकृत किया जाए।
7.12	बोर्ड मुख्यालय एवं क्षे0 कार्यालय तथा आवासीय परिसर के लिए जमीन के संबंध में	वन भूमि की उपलब्धता हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाये।
7.13	वर्ष 2007–08 में जनजागरूकता कार्यकम के सम्बन्ध में	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित जनजागरूकता कार्यक्रमों का वार्षिक Action Plan बनाते हुए कार्यवाही की जाए। बोर्ड द्वारा विज्ञापन हेतु सदस्य सचिव के वर्तमान ब्यय सीमा (रू0 10,000/–) को बढाकर रू0 50,000/– करने को अनुमोदित किया गया।
7.14	बोर्ड में तकनीकी कर्मियों को सविदा/प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने के सम्बन्ध में	प्रस्ताव अवलोकित किया गया तथा अध्यक्ष महोदय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि वन विभाग के कर्मियों को प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के माध्यम से आवश्यकतानुसार मानदेय के आधार पर रखा जाए।
7.15	बोर्ड में मिनिस्ट्रीयल स्टाफ तथा सर्विसेज के सम्बन्ध में	अवलोकित किया गया तथा अध्यक्ष महोदय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया।
7.16	**अध्यक्ष महोदय के अनुमति से अन्य विषय**	
7.16.1	बोर्ड में कार्यरत तकनीकी तथा विधि सलाहकारों के कार्याकाल को बढाये जाने के संबंध में	तकनीकी सलाहकार/परामर्शदाता श्री पारितोष त्यागी के 6 माह के विस्तार (पूर्व निर्धारित मानदेय पर 12.4 प्रतिशत सर्विस टैक्स सहित) का अनुमोदन बोर्ड द्वारा दिया गया। विधि सलाहकारों के कार्यकाल अग्रेत्तर बढाये जाने की

N. Ravi Shankar
6.7.2007

		सस्तुति शासन को प्रेषित किये जाने हेतु प्रस्ताव के अनुरूप अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।
7.16.2	उच्च दक्षता के तकनीकी संस्थाओं के साथ Collaboration करने के संबंध में	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। उक्त विशेषज्ञ संस्थाओं की सेवाएँ लेने हेतु दीर्घकालीन MOU आदि के लिए अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से सदस्य सचिव को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया।
7.16.3	वित्तीय शक्तियों का प्रतिनिधायन	Task Force के Coordinator को रू0 10000/– की वित्तीय शक्ति दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मुख्य पर्यावरण अधिकारी को रू0 10,000/– की वित्तीय व्यय की शक्ति पर बोर्ड द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।
7.16.4	बोर्ड की वर्ष 2005–06 की वार्षिक रिर्पोट के संबंध में	अवलोकित की गई।
7.16.5	गंगा यमुना एवं इसकी सहायक नदी/जल स्रोतो को प्रदूषण मुक्त करने तथा जल की गुणवत्ता के सतत अनुश्रवण हेतु अन्य स्तरीय सलाहकार समिति के गठन के सम्बन्ध में।	बोर्ड को कार्यवाही करने की आवश्यकता नही है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से ही कार्यवाही की जानी उचित होगी।
7.16.6	आगामी बोर्ड बैठक में लिये जाने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्ताव	प्रस्ताव अवलोकित किये गये।
7.16.7	बोर्ड की विभिन्न अनुभागों की पत्रावलियों के सम्बन्ध में अघतन स्थिति	स्थिति का अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिये कि समस्त पत्रावलियों का भौतिक सत्यापन किया जाए तथा इनको समुचित रखरखाव की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए तथा शेष 35 पत्रावलियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए।

अन्त में बैठक के अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से सदस्य सचिव द्वारा सभी महानुभावों का बैठक में भाग लेने एवं अपने विचार रखने हेतु धन्यवाद प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष महोदय को आभार के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(विजय कुमार) 06/07/07
सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड पर्यावरण सरंक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून

N. Ravi Shankar 6.7.2007
(एन0 रविशंकर)
अध्यक्ष
उत्तराखण्ड पर्यावरण सरंक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून